संख्या-08/2020/1043/22-2-2018-17(06)/2008

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2020***

विषय:- जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिलशाद पुत्र श्री जिया खॉ, निवासी जनपद-अमरोहा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21771/प्रोबे0-5-दया0(बैठक-15-05-2018 दिनांक 14-06-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी दिलशाद पुत्र श्री जिया खॉ, निवासी ग्राम-सलारपुर खालसा, थाना-रजबपुर, जनपद-अमरोहा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दुश्मनी के कारण दिनांक 16.03.2000 को 12 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अन्धाधुन्ध गोलियॉ चला कर 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-156/2000 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला जज/विशेष सत्र न्यायाधीश, जे0पी0 नगर के आदेश दिनांक 14.12.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.11.2006 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.02.2018 तक 14 वर्ष, 00 माह, 30 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 07 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति एवं मेडिकल बोर्ड द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी के कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी दिलशाद (बन्दी संख्या-2008/12) पुत्र श्री जिया खॉ, निवासी जनपद-अमरोहा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-08/2020/1043(1)/22-2-2018 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in